

06-01-2022 वकुलाय उपस्थित। अपार्थीगण की तलबी हेतु चार वर्ष से भी अधिक समय दिया जा चुका है, बावजूद इसके वकील पार्थी द्वारा अपार्थीगण की तलबी नहीं करवाई गई, दिनांक 5-4-2021 एवं 27-10-2021 को अवसर मांगने पर कृपया: 200 रुपये एवं 500 रुपये कोस्ट पर वकील पार्थी को तलबी हेतु और अवसर दिये गये बावजूद इसके वकील पार्थी द्वारा आज तक समन। नोटिस पेशा नहीं किये गये अतः प्रकरण में आदेश 09 नियम 05 R.W. 151 सीपीसी की कार्यवाही अमल में लाई जाती है, इतने लम्बे समय तक अपार्थीगण की तलबी नहीं करवाना पार्थीगण की प्रकरण के प्रति लापरवाही उदासीनता प्रकट करती है अतः पार्थी का पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 CPA विरुद्ध अपार्थीगण आदेश 09 नियम 05 की कार्यवाही करते हुए शवादीप किया जाता है, पत्रावली फैसल शूमार बेकर नम्बर से कम हो, बाद तक मिल जाता दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी